२००

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

सूचना का अधिकार

कमाक :प 22(16)प्रसु/सू.अ.प्र./2010

जयपुर,दिनांकः– 12/7/12

परिपत्र

ऐसा संज्ञान में आया हैं कि लोक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् आवेदको को सूचनाऐं आदि अधूरी प्रदान की जाती हैं। आवेदक को वांछित सूचना लोक सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत् विहित समय में पूर्ण रूप से उपलब्ध करवायी जानी आवश्यक है। अतः लोक प्राधिकरणों से यह अपेक्षा की जाती है कि आवेदको को सूचना प्रदान करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक ध्यान दिया जावेः–

1. सूचना का अधिकार अधिनियम में प्राप्त आवेदनो का निस्तारण 30 दिवस के अन्दर किया जाना सुनिश्चित करावें।
2. यदि प्राप्त प्रकरण आपके विभाग से संबंधित नहीं है तो उसे 5 दिवस के अन्दर संबंधित विभाग को अन्तरित कर दिया जावें।
3. यदि प्राप्त प्रकरण में एक या कुछ बिन्दु आपके विभाग से संबंधित है तथा शेष बिन्दु अन्य विभागों से संबंधित है तो आपके विभाग की सूचना आवेदक को दी जावें तथा शेष बिन्दु हेतु आवेदक को संबंधित विभागों (जहाँ तक सम्भव हो संबंधित विभाग का उल्लेख भी करें) संबंधित विभागों से मांगने हेतु पृथक–पृथक आवेदन करने के लिए सूचित किया जावें।
4. आवेदक को प्रेषित पत्र में प्रेषित करने वाले लोक प्राधिकरण अधिकारी का नाम, पद कार्यालय का पता एवं दूरभाष नम्बर अंकित किया जावें।
5. आवेदक को प्रथम अपील अधिकारी का नाम, पद एवं कार्यालय का पता भी दिया जावें।
6. यदि आवेदन के साथ डाक टिकिट लगे हो और प्रार्थी का पता लिखा हो तथा लिफाफा संलग्न किया हो तो उसे सूचना तदानुसार स्पीडपोस्ट/रजिस्ट्रर्ड डाक से भिजवायी जावें।

(ओ.पी.जैन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. समस्त अतिरिक्त, मुख्य सचिव।
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में आप अपने अधीनस्थ विभागों को निर्देशित करने का श्रम करें।
3. समस्त संभागीय आयुक्त।
4. समस्त जिला कलक्टर।
5. समस्त जिला कमिश्नर/ पुलिस अधीक्षक ।
6. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी,
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
शासन सचिवालय, जयपुर